



## अकालकोट नगरपरिषद, अकालकोट जि. सोलापूर

दि.- २३/११/२०२३

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकरीता

### कराचे बिल (पोचपावती)

वार्ड क्र: ६ मालमत्ता क्र: ४९६ भाग क्र: १  
मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: साजेदा नबिलाल शेख

जुना वार्ड क्र: ९ जुना मालमत्ता क्र: ४६०८  
संगणक क्र.: ९४०००५००

भाडेकरूचे नाव: श्री/श्रीमती/में:

मालमत्तेचे वर्णन: निवासी

बिल क्र: AKKA62943

भोगवटदाराचे नाव: श्री/श्रीमती/में: समीना इमरान शेख

दुकान / इमारतीचे नाव: /

पत्ता: शिवाजी नगर, अकालकोट

| कराचे विवरण   | संकलित कर रु. | झाड कर रु. | म.शिक्षण कर रु. | नौकरी/ शाश्वती कर | अग्निशमन कर रु. | जल निस्सारण कर रु. | वि.स्वच्छता कर रु. | वि शिक्षण कर | वापरकर्ता शुल्क रु. | थकीत वॉरंट फी | अनाधिकृत बांधकामावरील शास्ती | मुदतीत कर न भरल्याने शास्ती | एकूण कर रु. |
|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| थकीत मागणी रु | ९७            | ४          | १७              |                   | २               | ८                  |                    | १०           | ४८०                 | १             |                              | १४८                         | ७६७         |
| चालु मागणी रु | ५१७           | २२         | १००             |                   | १०              | ४५                 | ८०                 | ५२           | ४८०                 |               |                              |                             | १३०६        |
| एकूण कर रु    | ६१४           | २६         | ११७             |                   | १२              | ५३                 | ८०                 | ६२           | ९६०                 | १             |                              | १४८                         | २०७३        |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती वेगळ्याची नाही



## अकालकोट नगरपरिषद, अकालकोट जि. सोलापूर

दि.- २३/११/२०२३

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकरीता

### कराचे बिल

वार्ड क्र: ६ मालमत्ता क्र: ४९६ भाग क्र: १  
मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: साजेदा नबिलाल शेख

जुना वार्ड क्र: ९ जुना मालमत्ता क्र: ४६०८  
संगणक क्र.: ९४०००५००

भाडेकरूचे नाव: श्री/श्रीमती/में:

मालमत्तेचे वर्णन: निवासी

बिल क्र: AKKA62943

भोगवटदाराचे नाव: श्री/श्रीमती/में: समीना इमरान शेख

दुकान / इमारतीचे नाव: /

पत्ता: शिवाजी नगर, अकालकोट

### सन २०२३-२४ करीता मागणी

| कराचे विवरण                         | थकीत मागणी रु | चालु मागणी रु | एकूण मागणी रु | वसुली पुस्तक क्र. पावती क्र. दिनांक: | एकूण शिल्लक मागणी रु |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| १) मालमत्ता कर रु                   | ९७            | ५१७           | ६१४           |                                      | ६१४                  |
| २) झाड कर रु                        | ४             | २२            | २६            |                                      | २६                   |
| ३) म.शिक्षण कर रु                   | १७            | १००           | ११७           |                                      | ११७                  |
| ४) नौकरी/ शाश्वती कर रु             |               |               |               |                                      |                      |
| ५) अग्निशमन कर रु                   | २             | १०            | १२            |                                      | १२                   |
| ६) जल निस्सारण कर रु.               | ८             | ४५            | ५३            |                                      | ५३                   |
| ७) वि. स्वच्छता कर रु               |               | ८०            | ८०            |                                      | ८०                   |
| ८) वि शिक्षण कर                     | १०            | ५२            | ६२            |                                      | ६२                   |
| ९) वापरकर्ता शुल्क रु.              | ४८०           | ४८०           | ९६०           |                                      | ९६०                  |
| १०) थकीत वॉरंट फी.                  | १             |               | १             |                                      | १                    |
| ११) अनाधिकृत बांधकामावरील शास्ती रु |               |               |               |                                      |                      |
| मुदतीत कर न भरल्याने शास्ती रु      | १४८           |               | १४८           |                                      | १४८                  |
| अग्रिम रक्कम रु                     |               |               |               |                                      |                      |
| एकूण कर रु                          | ७६७           | १३०६          | २०७३          |                                      | २०७३                 |

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देय होतो.

२) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० (३) अन्वये बिल दिल्यापासून १५ दिवसांत करात १ टक्का सवलत मिळेल. ३) मागील कर आकारणीनुसार थकबाकी शिल्लक असल्यास पुढील विलास लागू येईल. ४) महाराष्ट्र नगर परिषदा, अधिनियम १९६५ मधील ( राजपत्र दि.२७/०४/२०१० असाधारण भाग ४)मधील सुधारीत कलम १५०अ (१) अन्वये मागणी बिलातील थकीत रकमेचा पुर्ण भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीवर डिसेंबर महिन्यानंतर २ % प्रतिमाह प्रमाणे शास्ती आकारण्यांत येईल. ५) नाही तर अशी रक्कम व तो वसुली करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सहीने वॉरंट ( अधिपत्र) करून व ती जाहिर लिलावाव्दारे विकुण वसुलीस पात्र असेल ६) जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत मा. मालमत्ता ताब्यात घेता येईल. ७) सदर बिल बजावल्यामुळे बांधकाम परवानगी मिळाली अथवा बांधकाम कायदेशीर आहे किंवा मालकीची आहे असे समजण्यात येत नसेल. ८) ३१/१०/२०२३ पर्यंत चे वसुली नोंदीस आधिन राहून लागू करण्यात येत आहेत. त्यानुसार त्यानंतर कराची रक्कम अदा केली असल्यास, जाईल.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण                  | नोव्हें-२३ | डिसे-२३ | जाने-२४ | फेब्रु-२४ | मार्च-२४ |
|------------------------|------------|---------|---------|-----------|----------|
| थकीत देय रक्कम J       | ७६७        | ७७९     | ७९२     | ८०४       | ८१७      |
| प्रथम बर्खास्त मागणी J | ६५३        | ६५३     |         |           |          |
| दुसरी बर्खास्त मागणी J | ६५३        | ६५३     | १३३२    | १३५८      | १३८४     |
| एकूण देय रक्कम J       | २०७३       | २०८५    | २१२४    | २१६२      | २२०१     |

कर संग्राहक

कर अधिक्षक

मुख्याधिकारी

अकालकोट नगरपरिषद, अकालकोट

अकालकोट नगरपरिषद, अकालकोट

अकालकोट नगरपरिषद, अकालकोट

१) जोला, सुका, घातक कचरा विलगीकरण करून घनकचरा नियम २०१६ नुसार निव्वेदात सावण्याची प्राथमिक जबाबदारी मालमत्ता धारकाची आहे. घंटागाडीसाठी प्रत्येक मालमत्ता धारकाला स्वातंत्रित्या शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार उपभोक्ता शुल्क बंधनकारक आहे.

२) बाह्य प्लॅस्टिक मुक्त करण्यासाठी शासन धोरण/ न.प ठराव नियमानुसार शास्ती टाळण्यासाठी निरवस्थित प्लॅस्टिक चा वापर टाळावा.



कर भरा कटुता टाळा